(मुकदमा मनोहर बनाम हरलाल
राजस्व वाद संख्या 61/2025)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आरएएस

उनवान :- राजस्व वाद संख्या 49/2025

मनोहर पुत्र बलराम, जाति जाट निवासी चक 4 एम एल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर

--वादी

बनाम

1. हरलाल पुत्र सुरजाराम, जाति कुम्हार, निवासी चक 23 एम एल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर ।

--- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

=:: उपस्थित अभिभाषकगण ::=

1. श्री प्रदीप सिहाग == वादी
2. श्री विनोद गोदी == प्रतिवादी संख्या 1
3. पैरोकार राज श्रीगंगानगर == प्रतिवादी संख्या 2

=:: निर्णय ::=.

दिनांक :- 27.05.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है कि वादी के नाम चक 24 एम एल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 24/23 के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 23/2 ता 25/3 की कुल 0.833 हैक्टेयर नहरी मय खाला, खाता संख्या 147/112 के मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 16/2 व 25/2 की कुल 0.348 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 16/1, 16/2, 17, 18, 23/1 की कुल 0.860 हैक्टेयर नहरी व 0.0250 हैक्टेयर खाला यानि कुल 1.233 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 112/116 के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 11, 12, 19/1, 19/2, 20 ता 22 की कुल 1.517 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी सलंग्न वाद पत्र है । प्रतिवादी संख्या 1 के नाम इसी चक के खाता संख्या 136/118 के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 6/1, 6/2, 7, 8, 9/2, 11, 12, 13/1 की कुल 1.556 हैक्टेयर नहरी व 0.0250 हैक्टेयर खाला तथा मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 7/2, 8 ता 13/1 की कुल 1.581 हैक्टेयर नहरी यानि कुल 3.162 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलंग्न वाद पत्र है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य काफी वर्ष पूर्व आपसी सहूलियत की दृष्टि से कब्जा काश्त को लेकर मुरब्बा विशेष के किला विशेष का आपसी मौखिक विभाजन उपरोक्त वर्णित

उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

कृषि भूमि के सम्बंध में किया जाकर उसी विभाजन अनुसार विभाजन में प्राप्त हुई कृषि भूमि के समेकन हेतु विनिमय किया जाकर कब्जा आदानप्रदान कर उक्त भूमि की कब्जा काश्त की जा रही है, परन्तु विभाजन एवं समेकन हेतु विनिमय में प्राप्त भूमि का नामान्तरण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाया है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रश्नगत भूमि के संबंध में समेकन किया जाकर जो आपसी विभाजन कृषि भूमि के सम्बन्ध में किया गया है वह निम्न अनुसार है:–

(1) वादी के द्वारा अपने स्वामित्व की खाता संख्या 24/23 में दर्ज कुल 0.633 हैक्टेयर नहरी मय खाला, खाता संख्या 147/112 में से मुरब्बा नम्बर 27 की कुल 0.885 हैक्टेयर नहरी मय खाला तथा खाता संख्या 112/116 में मुरब्बा नम्बर 27 की कुल 1.517 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि यानि तीनों खातो के मुरब्बा नम्बर 27 की कुल 3.035 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को मौखिक विभाजन एवं समेकन हेतु विनिमय में प्रदान कर कब्जा काश्त सौंप दिया गया ।

(2) प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी से प्राप्त उक्त कृषि भूमि के बदले अपने स्वामित्व की खाता संख्या 136/118 के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 6/1, 6/2, 7, 8, 9/2, 12, 13/1 एवं किला नम्बर 11 में 0.126 हैक्टेयर कृषि भूमि जो कि पूर्वी हिस्सा में स्थित यानि कुल 1.455 हैक्टेयर नहरी मय खाला तथा मुरब्बा नम्बर 50 में दर्ज कुल 1.581 हैक्टेयर नहरी यानि कुल 3.035 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि वादी को मौखिक विभाजन एवं समेकन हेतु विनिमय में प्रदान कर कब्जा काश्त सौंप दिया गया।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा उक्त मौखिक विभाजन के द्वारा प्राप्त हुई कृषि भूमि का कब्जा उसी रोज प्राप्त कर प्रश्नगत भूमि का समेकन कर लिया गया तथा आज दिनांक तक उसी अनुरुप निर्विवाद रुप से काबिज काश्त है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य कृषि भूमि के सम्बन्ध में हुये आपसी मौखिक विभाजन एवं विनिमय के अनुसार कृषि भूमि का अंकन वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में न होने के कारण वादी को लगान, आबयाना, पानी की पर्ची एवं अन्य सरकारी योजनाओं में कठिनाई पैदा होने लग गई है जिस पर वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से निवेदन किया गया कि जो प्रश्नगत भूमि का मौखिक विभाजन किया जाकर समेकन किया गया है तथा कब्जा वादी को आपसी सहमति तय हक व हिस्सा अनुसार मुरब्बा विशेष के किला विशेष का सौंप दिया गया है, को वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम अंकित करवा दिया जावे तो प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रारम्भ में टालमटोल की गई, परन्तु दिनांक 15.03.2025 को ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये। यही वाद हेतुक वादी को वाद प्रस्तुत करने का प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादाधीन कृषि भूमि में अपना हक व हिस्सा को जरिये मौखिक समझौता एवं विनिमय वाद पत्र के चरण संख्या 4 के अनुसार प्रदान किया जा चुका है, मगर प्रतिवादी संख्या 1 अब उसी अनुरुप कृषि भूमि वादी के नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु आनाकानी कर रहा है। प्रतिवादी संख्या 2 राज्य सरकार है जिसे वर्तमान वाद पत्र में आवश्यक पक्षकार होने के कारण प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है

खण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

वाद पत्र में उल्लेखित वादाधीन कृषि भूमि श्रीगंगानगर में स्थित है के समेकन हेतु विनिमय का माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है एवं वाद पत्र उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है ।

अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी, विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार आदेशित एंव आज्ञाप्ति किया जावे:–

(क) यह कि इस अमर की डिक्री घोषणा बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि चक 24 एम एल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 136/118 के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 6/1, 6/2, 7, 8. 9/2, 12, 13/1 एवं किला नम्बर 11 में 0.126 हैक्टेयर कृषि भूमि जो कि पूर्वी हिस्सा यानि कुल 1.455 हैक्टेयर नहरी मय खाला तथा मुरब्बा नम्बर 50 में दर्ज कुल 1.581 हैक्टेयर नहरी यानि कुल 3.035 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि को वादी के नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रुप में दर्ज किया जावे।

(ख) यह कि इस अमर की डिक्री घोषणा, समेकन हेतु विनिमय पारित की जावे की वादी के नाम चक 24 एम एल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 24/23 में दर्ज कुल 0.633 हैक्टेयर नहरी मय खाला, खाता संख्या 147/112 में से मुरब्बा नम्बर 27 की कुल 0.885 नहरी मय खाला तथा खाता संख्या 112/116 में मुरब्बा नम्बर 27 की कुल 1.517 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि यानि तीनों खातो के मुरब्बा नम्बर 27 की कुल 3.035 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम मुताबिक मौखिक विभाजन एवं विनिमय के आधार पर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज किया जाने हेतु आदेशित किया जावे।

(ग) यह कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के हित में उचित समझे, प्रदान किया जावे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा सहमति जवाब दावा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार जो कृषि भूमि वादी द्वारा अंकित की गई है वह कृषि भूमि जमाबंदी में दर्ज का कथन भी सत्य अंकित किया गया है। इस चरण में जो कृषि भूमि मुझ प्रतिवादी संख्या 1 कह अंकित की गई है वह कृषि भूमि मुझ प्रतिवादी के नाम से अंकित है सत्य अंकित किया गया है। मुझ प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा मौखिक विभाजन के समय मुझ प्रतिवादी के नाम कृषि भूमि चक 24 एम. एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 136/118 के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 6/1, 6 /2, 7, 8, 9/2, 12, 13/1 एवं किला नम्बर 11 में 0.126 है. कृषि भूमि यानि 1.455 है तथा मुरब्बा नम्बर 50 में दर्ज कुल 1.581 है. नहरी यानी कुल 3–035 ट्रैक्टर मय खाला का कब्जा समला दिया तथा उसी दिन वादी दारा अपनी कृषि भुमी स्थित चक 24 एम. एल. खाता संख्या 136/118 के मु० नम्बर 44 कें किला नम्बर 6/1, 6/2, 7, 8, 9/8, 12, 13/1 एवं किला नम्बर 11 में 0.126 है. कृषि भूमि कि पूर्वी हिस्सा यानी कुल 1.455 है, नहरी मय खाला तथा मु० नम्बर 50 में दर्ज कुल 1.581 है. यानि कुल 3.035 है. कृषि भूमि मौखिक विभाजन के दिन से ही मुझ प्रतिवादी संख्या 1 को कृष्णा समला दिया था तथा उसी काश्त कर रहा हूँ।

7. यह कि वाद–पत्र की चरण संख्या 7 में मागे गये अनुतोष (क) (ख) (ग) न्यायालय द्वारा वादी को प्रदान किया जाता है तो मुझ प्रतिवादी संख्या 1 को कोई ऐतराज नहीं है।

अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त वाद–पत्र मे चाहा गया अनुतोष बादी को दिया जाता है तो मुझ प्रतिवाडी संख्या 1 को कोई ऐतराज नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

वादी द्वारा प्रकरण में आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया जिस पर कील प्रतिवादी द्वारा अनापत्ति जाहिर करने पर वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश नियम 17 सी.पी.सी. स्वीकार किया गया। वकील वादी द्वारा प्रकरण में संशाधित वाद पत्र स्तुत किया गया।

प्रतिवादी संख्या 2 पैरोकार राज तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा स्टेट जवाब पेश केया गया।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्ष द्वारा बहस में कथन किया गया कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य आपसी सहमति है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य हुए मौखिक विभाजन एवं समेकित विनिमय के आधार पर वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत्–2070–2073 ग्राम 24 एमएल, पटवार क्षेत्र लटठावाली, भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 24/23, जमाबंदी सम्वत्–2070–2073 ग्राम 24 एमएल, पटवार क्षेत्र लटठावाली, भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 147/112, जमाबंदी सम्वत्–2070–2073 ग्राम 24 एमएल, पटवार क्षेत्र लटठावाली, भू. अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 112/116, जमाबंदी सम्वत्–2070–2073 ग्राम 24 एमएल, पटवार क्षेत्र लटठावाली, भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 136/118 की प्रतियां पेश की गई। प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है। वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य भूमि के समेकन हेतु आपसी विनिमय की सहमति हो चुकी है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तवेजात एवम् जमाबन्दी साक्ष्य के अवलोकन से न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत विनिमय हेतु वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।

मुताबिक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के खातेदार अभिधारी अपनी जोत को समेकित करने हेतु अन्य खातेदार अभिधारी के साथ विनिमय कर सकता है। बशर्त विनिमय में भूमि समान मूल्य व गुणवत्ता की हो।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्युद्ध अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है।

प्रस्तुत प्रकरण में उक्त विवेचन अक्षरतः चस्पा होता है।

–:: आदेश ::–

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक आपसी सहमति स्वीकार किया जाकर वादी एवम् प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है:–

(1) प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि चक 24 एम एल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 136/118 के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 6/1, 6/2, 7, 8. 9/2, 12, 13/1 एवं किला नम्बर 11 में 0.126 हैक्टेयर कृषि भूमि जो कि पूर्वी हिस्सा यानि कुल 1.455 हैक्टेयर नहरी मय खाला तथा मुरब्बा नम्बर 50 में दर्ज कुल 1.581 हैक्टेयर नहरी यानि कुल 3.035 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि को वादी मनोहर पुत्र बलराम के नाम मुताबिक मौखिक विभाजन एवं विनिमय के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

आधार पर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(ख) वादी के नाम चक 24 एम एल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 24/23 में दर्ज कुल 0.633 हैक्टेयर नहरी मय खाला, खाता संख्या 147/112 में से मुरब्बा नम्बर 27 की कुल 0.885 हैक्टर नहरी मय खाला तथा खाता संख्या 112/116 में मुरब्बा नम्बर 27 की कुल 1.517 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि यानि तीनों खातो के मुरब्बा नम्बर 27 की कुल 3.035 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 हरलाल पुत्र सुरजाराम के नाम मुताबिक मौखिक विभाजन एवं विनिमय के आधार पर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 27.05.2025 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner